न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 29/2016 अपील

1. श्रीमती बाली बेवा नेमीचन्द जाट निवासी बडला तहसील कोटडी 2. कमलेश पुत्र नेमीचन्द जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थीया सं. 01 बाल बेवा नेमीचन्द जाट निवासी बडला तहसील कोटडी 3. कैलाश पुत्र नेमीचन्द जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थीया सं. 01 बाल बेवा नेमीचन्द जाट निवासी बडला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा	बनाम	1. प्यारा पुत्र मोडा जाट निवासी बडला तहसील कोटडी 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाड़ा
–अपीलार्थी		– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार, बडलियास बमामले नामान्तरकरण सं0 2224 निर्णय दिनांक 28.05.2015

उपस्थित –
1. श्री रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बडलियास को बमामलें नामान्तरकरण सं. 2224 निर्णय दिनांक 28.05.2015 के खिलाफ दिनांक 06.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडला पटवार हल्का बडलियास तहसील कोटडी की सरहद में आराजी सं. 553, 596/2, 1246, 1329 किता 04 रकबा 04.04 बीघा स्थित है। यह आराजी राजस्व रिकार्ड में नन्दा, प्यारा पिता मोडा जाट निवासी बडला के नाम दर्ज हैं । खातेदार नन्दा पुत्र मोडा जाट दिनांक 06.06.2012 को मृत्यु हो गई । दिनांक 20.05.2014 को ग्राम पंचायत सभा में प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण सं. 2144 दिनांक 20.05.2016 नन्दा के अपीलार्थीगण के नाम खोलने का आदेश प्रदान किया । ग्राम पंचायत बडला के तत्कालीन सरपंच से प्रत्यर्थी सं. 01 ने मिलभगति कर नामान्तरण आदेश पारित होने के बाद बिना किसी कौरम के नामान्तरण पर यह लिख

नामान्तरण निरस्त कर दिया कि "मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नहीं किये जाने से नामान्तरण निरस्त किया जाता है। "ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण निरस्त करने की कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी। प्रत्यर्थी सं. 01 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगति कर दिनांक 28.05.2015 को नामान्तरकरण सं. 2224 नन्दा के बजाय प्रत्यर्थी सं. 01 ने अपने नाम खुलवा लिया। अपीलार्थीया सं. 01 मृतक नन्दा के मृत गोदपुत्र नेमीचन्द की पत्नी है। अपीलार्थी सं. 02, 03 मृतक नन्दा के मृत गोदपुत्र नेमीचन्द के पुत्र हैं, जो मृत नन्दा के कानूनी एवं जायज वारिस है। फिर भी अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण नहीं खोल मृतक नन्दा के भाई प्रत्यर्थी सं. 01 प्यारचन्द के पक्ष में नामान्तरण खोल भारी भूल फरमायी हैं। इस कारण नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य हैं। मृतक नन्दा का इन्तकाल एक बार खोलने का आदेश पारित कर दिया गया तो दुबारा नामान्तरकरण खोलने का नायब तहसीलदार को कोई क्षैत्राधिकार नहीं था । फिर भी नायब तहसीदार ने विधि विरूद्व निर्णय पारित किया जो निरस्त होने योग्य हैं। नकले प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक 15.06.2016 से अपील अन्दर अवधि पेश हैं। मियाद को कण्डोन कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमा नायब तहसीलदार बडलियास तहसील कोटडी द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश सं. 2224 दिनांक 28.05.2015 को अपास्त फरमाया जाकर मृतक नन्दा पिता मोडा जाट निवासी बडला की राजस्व भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम खोलने का आदेश प्रदान करें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा से अपीलाधीन आदेश संबंधी नामान्तरकरण सं. 2224 प्राप्त हुआ ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बडला पटवार हल्का बडलियास तहसील कोटडी की सरहद में आराजी सं. 553, 596/2, 1246,1329 किता 04 रकबा 04.04 बीघा स्थित है। यह आराजी राजस्व रिकार्ड में नन्दा, प्यारा पिता मोडा जाट निवासी बडला के नाम दर्ज हैं। खातेदार नन्दा पुत्र मोडा जाट दिनांक 06.06.2012 को मृत्यु हो गई। दिनांक 20.05.2014 को ग्राम पंचायत सभा में प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण सं. 2144 दिनांक 20.05.2016 नन्दा के अपीलार्थीगण के नाम खोलने का आदेश प्रदान किया। ग्राम पंचायत बडला के तत्कालीन सरपंच से प्रत्यर्थी सं. 01 ने मिलीभगति कर नामान्तरण आदेश पारित होने के बाद बिना किसी कौरम के नामान्तरण पर यह लिख नामान्तरण निरस्त कर दिया कि "मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नहीं किये जाने से नामान्तरण निरस्त किया जाता है।" ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण निरस्त करने की कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी। प्रत्यर्थी सं. 01 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगति कर दिनांक 28.05.2015 को नामान्तरकरण सं. 2224 नन्दा के बजाय प्रत्यर्थी सं. 01 ने अपने नाम खुलवा लिया। अपीलार्थीया सं. 01 मृतक नन्दा के मृत गोदपुत्र नेमीचन्द की पत्नी है। अपीलार्थी सं. 02, 03 मृतक नन्दा के मृत

गोदपुत्र नेमीचन्द के पुत्र हैं, जो मृत नन्दा के कानूनी एवं जायज वारिस है। फिर भी अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण नहीं खोल मृतक नन्दा के भाई प्रत्यर्थी सं. 01 प्यारचन्द के पक्ष में नामान्तरण खोल भारी भूल फरमायी हैं। इस कारण नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य हैं।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि नेमीचन्द किसी प्रकार नन्दा पिता मोडा जाट के गोद नहीं किया गया है। नेमीचन्द प्रत्यर्थी सं. 01 का सबसे बड़ा पुत्र हैं जो कभी भी नन्दा के गोद नही गया तथा न ही प्यारचन्द एवं उसकी पत्नी ने नेमीचन्द को नन्दा पिता मोड के गोद ही रखा है । नन्दा पिता मोडा जाट के कोई संतान नहीं अर्थात नन्दा जाट लाऔलाद फोत हुआ तथा उसकी पत्नी भी फोत हो गयी । नन्दा पिता मोडा के माता पिता का भी निधन हो गया तथा नन्दा पिता मोडा के कोई बहन भी नहीं है। केवल एक भाई विपक्षी रेस्पोडेण्ट सं. 01 जिन्दा है। इस कारण कानूनन नन्दा का उत्तराधिकारी विपक्षी सं. 01 प्यारचन्द जो नन्दा का भाई हैं वह ही है। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर एवं नन्दा के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर जो नामान्तरकरण विपक्षी प्यारचन्द के हक में खोला हैं वह पूरी तरह विधि सम्मत हैं जो किसी प्रकार अपास्त होने योग्य नहीं हैं। पटवार हल्का द्वारा पूरी जांच करने के पश्चात् चूंकि नेमीचन्द , नन्दा पिता मोडा जाट के गोद नहीं गया इस कारण नन्दा की विरासत का नामान्तरकरण प्यारचन्द के नाम खोला गया जो पूरी तरह विधि सम्मत हैं । अपीलाण्ट बाली ने अपने पुत्रों को साथ लेकर वर्तमान में अन्यत्र नाता विवाह कर लिया हैं तथा वादग्रस्त आराजियात पर कोई कब्जा भी नहीं है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्टगण खारिज फरमायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम बडला के नामान्तरकरण सं. 2224 नन्दा, प्यारा पिता मोडा जाट सा.दे. खातेदार से नन्दा पिता मोडा जाट की विरासत में प्यारा पिता मोडा जाट के नाम नामान्तरण दिनांक 28.05.2015 को नायब तहसीलदार बडलियास द्वारा स्वीकृत किया गया । अपीलार्थी सं. 01 प्यारा पिता मोडा जाट के पुत्र नेमीचन्द की पत्नी व अपीलार्थी सं. 02 व 03 पुत्रगण है। अपीलार्थीगण ने नेमीचन्द के नन्दा पिता मोडा जाट के गोदपुत्र होने के आधार पर नन्दा जाट के हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की गयी हैं, जबकि नेमीचन्द को नन्दा पिता मोडा जाट के गोदपुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेज गोदनामा रजिस्टर्ड रिकार्ड पर नहीं है। प्यारा पिता मोडा जाट द्वारा अपने पुत्र नेमीचन्द

को अपने भाई नन्दा पिता मोडा जाट को गोदपुत्र नहीं रखना बताया है। नन्दा पिता मोडा जाट के फोत होने पर विरासत से नामान्तरकरण सं. 2144 बाली बेवा नेमीचन्द, कैलाश, कमलेश पिता नेमीचन्द नाबा. ब.वि. माता बाली के नाम दायर किया । जिसे दिनांक 20.05.2014 को सरपंच ग्राम पंचायत बडला द्वारा खारिज किया गया । इस निर्णय दिनांक 20.05.2014 की अपील सक्षम न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा नहीं की गयी । इस प्रकार नन्दा पिता मोडा जाट निवासी बडला के लाऔलाद फोत होने, नन्दा पिता मोडा जाट निवासी बडला की माता गेखी एवं पत्नी लाड देवी के फोत होने पर विरासत से नन्दा पिता मोडा जाट के जाईन्दा भाई प्यारा पिता मोडा जाट के नाम नामान्तरकरण सं. 2224 दिनांक 28.05.2015 के स्वीकृत करने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बडलियास द्वारा ग्राम बडला के नामान्तरकरण सं. 2224 दिनांक 28.05.2015 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बडलियास को पालनार्थ भेजी जावे। मूल नामान्तरकरण 2224 कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे । न्यायालय नायब तहसीलदार बडलियास मूल नामान्तरकरण सं. 2224 की मूल पत्रावली कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा से नियमानुसार प्राप्त की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.5.18

(एल.आर.गुर्गरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा)